

FAMILY COURT, BHOJPUR, ARA
Maint.Case No-185/2023

Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature	Office action taken with date
	12-03-2026	पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पुकार कराया गया। पुकार पर न तो आवेदिका और न ही उनकी और से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये। अभिलेख का अवलोकन किया। आदेश फलक यह स्पष्ट करता है कि हस्तगत मामले में दिनांक 24.07.2025 के पश्चात आवेदिका अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे हैं ना ही न्यायालय आदेश का पालन कर रही हैं। आवेदिका का यह आचारण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि हस्तगत वाद को आगे जारी रखने में उनकी कोई रुची नहीं रह गयी है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में हस्तगत वाद को गैर अभियोजन(Non-prosecution) में खारिज किया जाता है। कार्यालय हस्तगत वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करावें। लेखापित (आशुतोष कुमार) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा।	